

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 12/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एचवाईडी) शमशाबाद, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 - 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 31 अगस्त, 2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली - 110003

15 अध्याय - 15 –प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 2 - 01.04.2008 से 31.03.2011 तक की अवधि को पूर्व नियंत्रण अवधि मानने की समीक्षा

- 2.5.1 प्राधिकरण पिछली नियंत्रण अवधि से पीसीपीई के परिकलन में गणना संबंधी कोई त्रुटि नहीं पाता है (देखें पैरा 2.4.1)।
- 2.5.2 प्राधिकरण 01.04.2008 से 31.08.2009 तक की पूर्व नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के टूअप को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 2.4.6)।
- 2.5.3 प्राधिकरण 736.55 करोड़ रूपए (31.03.2022 को) के टूअप को मानने का निर्णय लेता है, जो तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के भाग के रूप में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप के साथ हवाईअड्डा प्रचालक को प्रदान किए जाएंगे (देखें तालिका संख्या 6)।

अध्याय 3 – प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

- 3.9.1 प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, ऐरा दिशा-निर्देश, टीडीएसएटी आदेश और समय-समय पर जारी प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप तालिका संख्या 8 और 9 के अनुसार एचआईएल द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के विवेचन को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 3.2)।
- 3.9.2 प्राधिकरण लैंडसाइड पर वाहन में ईंधन भरने की सेवाओं से संबंधित किराया आय को द्वितीय और तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए समान (50%-वैमानिक : 50%-गैर-वैमानिक) मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 3.2.69-बिंदु ii)।
- 3.9.3 प्राधिकरण सीएसआर खर्चों के कारण होने वाले प्रचालन खर्चों को टूअप करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 3.5.17)।
- 3.9.4 प्राधिकरण 30% शेयर्ड टिल के अंतर्गत प्रति सहायता के लिए गैर-वैमानिक राजस्व का प्रयोग करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 3.7.19)।
- 3.9.5 प्राधिकरण 0.51 करोड़ रूपए (31.03.2022 को) के टूअप का निर्णय लेता है जो तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के भाग के रूप में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित टूअप के साथ हवाईअड्डा प्रचालक को प्रदान किए जाएंगे (देखें तालिका संख्या 19)।

अध्याय 4 – द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

- 4.12.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण में सकल ब्लाक अनुपात का प्रयोग करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2021 के लिए संशोधित आबंटन अनुपात वैमानिक 91.3% : गैर-वैमानिक 8.7% मान लिया गया है (देखें तालिका संख्या 34)।
- 4.12.2 प्राधिकरण वास्तविक परिवर्द्धनों को ध्यान में रखकर और स्वतंत्र अध्ययन द्वारा सुझाए गए परिसंपत्ति विभाजन अनुपातों के अनुसार वैमानिक आरएबी के टूअप का निर्णय लेता है। प्राधिकरण स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी में परिवर्द्धनों के भाग के रूप में द्वितीय नियंत्रण अवधि में 0.53 करोड़ रूपए की राशि का वैमानिक परिसंपत्तियों से गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों में पुनःवर्गीकरण करने का प्रस्ताव करता है (देखें तालिका संख्या 37)।

- 4.12.3 प्राधिकरण एचआईएएल द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2021 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और एचआईएएल द्वारा बढ़ाए गए वास्तविक ऋण पर आधारित संशोधित ऋण अनुसूची के आधार पर डब्ल्यूएसीसी में संशोधन करने का निर्णय लेता है। द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए निर्णीत डब्ल्यूएसीसी 10.73% है (देखें तालिका संख्या 41)।
- 4.12.4 प्राधिकरण वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2021 में माने गए आईआईडीटी और आईडीएटी के लिए परिसंपत्तियों को हटाने और हटाई गई परिसंपत्तियों के मूल्य को समायोजित करने सहित वित्त वर्ष 2017 के प्रारंभिक ब्लॉक को समायोजित कर मूल्यहास के परिकलन को संशोधित करने का निर्णय लेता है (देखें तालिका संख्या 48)।
- 4.12.5 प्राधिकरण स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार एचआईएएल के वैमानिक लाभ एवं हानि (देखें पैरा 4.5.17) संबंधी सीएसआर खर्चों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पास श्रू रूप में मानने का निर्णय लेता है।
- 4.12.6 प्राधिकरण एचआईएएल द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत विभाजन का अध्ययन करने के साथ किए गए स्वतंत्र अध्ययन द्वारा सुझाए अनुसार समायोजन पर आधारित कार्यक्रम प्रचालन एवं अनुरक्षण लागतों को मानने का निर्णय लेता है (देखें तालिका संख्या 54)।
- 4.12.7 प्राधिकरण स्वतंत्र अध्ययन की सिफारिश के अनुसार एचआईएएल द्वारा अदा किए गए रियायत शुल्कों को मानने और द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सकल वैमानिक राजस्व की 4% राशि को मानने का निर्णय लेता है (देखें तालिका संख्या 59)।
- 4.12.8 प्राधिकरण ने लैंडसाइड पर वाहन में ईंधन भरने की सेवाओं से होने वाली आय के आबंटन में हुए परिवर्तन के आधार पर और इसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों से एचआईएएल द्वारा वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों के आधार पर भी वैमानिक कर, गैर-वैमानिक राजस्व और वैमानिक राजस्व को संशोधित किया है (देखें तालिका संख्या 63, 68, 72)।
- 4.12.9 प्राधिकरण 31.03.2022 को 441.60 करोड़ रूपए (पीसीपीई, प्रथम नियंत्रण अवधि और द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए समायोजित राशि) को टूटअप करने का निर्णय लेता है, जो तृतीय नियंत्रण अवधि में हवाईअड्डा प्रचालक से वसूल करने के लिए प्रस्तावित है (तालिका संख्या 81)।

अध्याय 5 - तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

- 5.6.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 90 में दर्शाए अनुसार यातायात को मानने का निर्णय लेता है जिसे चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टूटअप किया जाएगा।

अध्याय 6 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यहास

- 6.6.1 प्राधिकरण इस स्तर पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान मैट्रो को जोड़ने के लिए 519 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय की अनुमति न देने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 6.2.15 और 6.2.16)।
- 6.6.2 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एयरफील्ड पेवमेंट को बढ़ाने और एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग को अपग्रेड करने के लिए 172.93 करोड़ रूपए के प्रस्तावित पूंजीगत व्यय और 308.56 करोड़ रूपए के पूंजीकरण की अनुमति देने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 6.2.20)।
- 6.6.3 आरएबी के निर्धारण के प्रायोजन से प्राधिकरण 84.6% (एयरो) और 15.4% (गैर-एयरो) के टर्मिनल-क्षेत्र अनुपात का प्रयोग कर यात्री टर्मिनल से संबंधित सामान्य परिसंपत्तियों को एयरो और गैर-एयरो परिसंपत्तियों में विभाजित करने का निर्णय लेता है। जबकि टर्मिनल भवन से भिन्न कार्यों से संबंधित सामान्य परिसंपत्तियों को द्वितीय नियंत्रण अवधि के औसत वैमानिक परिसंपत्ति अनुपात अर्थात् 91.3 % (एयरो) और 8.7% (गैर-एयरो) का प्रयोग कर विभाजित करने का निर्णय लिया गया है (देखें पैरा 6.2.23)।
- 6.6.4 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि में सामान्य और संबद्ध पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए 1256.67 करोड़ रूपए के कैपेक्स की अनुमति देने का निर्णय लेता है (देखें तालिका 120)।
- 6.6.5 प्राधिकरण इस स्तर पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीआईएसएफ के रिहायशी क्वार्टर बनाने के लिए पूंजीगत व्यय को न मानने का निर्णय लेता है (देखें 6.2.25 to 6.2.23)।

- 6.6.6 एचआईएल द्वारा प्रस्तुत पूंजीगत व्यय योजना के विश्लेषण और राइट्स रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि में 4088.79 करोड़ रूपए के पूंजीकरण के परिणामस्वरूप कैपेक्स बढ़ाने के लिए एचआईएल को 4820.05 करोड़ रूपए की अनुमति देने का निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण निधि जुटाने के विवेकपूर्ण साधनों के आधार पर बढ़ाए गए कैपेक्स की निधि की व्यवस्था करने के लिए 436.76 करोड़ रूपए के निर्माण के दौरान के ब्याज की अनुमति देने का भी निर्णय लेता है। प्राधिकरण इस टैरिफ आदेश की तालिका 134 के अनुसार बढ़े हुए पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।
- 6.6.7 प्राधिकरण इस टैरिफ आदेश की तालिका 135 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत/परिसंपत्ति परिवर्द्धनों को मानने का निर्णय लेता है।
- 6.6.8 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के दौरान एचआईएल द्वारा प्रस्तुत पूंजीकरण की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूर्ण/पूँजीकृत नहीं होती है तो प्राधिकरण एआरआर/लक्ष्य राजस्व से कुल परियोजना लागत की 1% राशि पुर्नसमायोजन के रूप में कम करने का निर्णय लेता है। (देखें पैरा 6.5.15)
- 6.6.9 प्राधिकरण इस टैरिफ आदेश की तालिका 137 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।
- 6.6.10 प्राधिकरण इस टैरिफ आदेश की तालिका 138 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।
- 6.6.11 प्राधिकरण बॉडी स्कैनर, नए रनवे की आवश्यकता और विस्तारित टर्मिनल में एयरसाइड क्षमता, एओसीसी, आईएमसी और एसओसीसी, परिमापी सड़क को चौड़ा करने तथा जीए एप्रोन निकास बनाने के लिए एनएटीएस अध्ययन के लिए कार्यक्षम एवं औचित्यपूर्ण होने की शर्त पर टूअप कार्य के भाग के रूप में भारग्रहण आधार पर पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 6.5.21)।
- 6.6.12 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्यपूर्ण और कार्यक्षम होने की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी और मूल्यहास को टूअप करने का निर्णय लेता है।

अध्याय 7 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

- 7.6.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च के भाग के रूप में एचआईएल द्वारा मानी गई पीएसएफ परिसंपत्तियों पर ब्याज लागत को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है।
- 7.6.2 प्राधिकरण प्रचालन खर्च से प्राप्त प्रासांगिक आय में से खर्च को घटाने की अनुमति न देने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 7.5.18)।
- 7.6.3 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पैरा 7.5.26 में यथानिर्धारित आबंटन अनुपात को मानने का निर्णय लेता है।
- 7.6.4 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 146 में यथानिर्धारित प्रचालन व्यय को मानने का निर्णय लेता है।
- 7.6.5 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्यपूर्ण और कार्यक्षम होने की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय को टूअप करना।

अध्याय 8 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

- 8.6.1 कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग, फ्यूल फार्म, ग्राउंड पावर यूनिट, आईसीटी सेवाओं (सीयूटीई, सीयूएसएस, बीआरएस और आईटी) से प्राप्त राजस्व को वैमानिक स्वरूप का समझना (देखें पैरा 8.2.6.)।
- 8.6.2 प्रति सहायता के प्रयोजन से गैर-वैमानिक राजस्व के पीबीटी के बजाय सकल गैर-वैमानिक राजस्व समझना (देखें पैरा 8.2.29)

- 8.6.3 सेवा के स्वरूप के आधार पर विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली अन्य आय में ब्याज की आय और लाभांश की आय को सम्मिलित समझना (देखें पैरा 8.5.3)।
- 8.6.4 स्थावर संपदा विकास से होने वाले राजस्व को गैर-वैमानिक स्वरूप का समझना (देखें पैरा 8.5.4)।
- 8.6.5 तालिका 152 में यथानिर्धारित गैर-वैमानिक राजस्व को मानना ।
- 8.6.6 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक राजस्व को टूटअप करना।

अध्याय 9 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी)

- 9.6.1 प्राधिकरण स्वतंत्र अध्ययन के परिणाम के अनुसार ईक्विटी की लागत 15.17% मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.14)।
- 9.6.2 प्राधिकरण एचआईएल द्वारा पुनर्वित्तीय बॉन्ड की लागत और पहले से ही बढ़ाई गई बॉन्ड की प्रभावी लागत के इसके मूल्यांकन के आधार पर ऋण की लागत 8.99% मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.22)।
- 9.6.3 स्वतंत्र अध्ययन द्वारा सुझाव दिए अनुसार 48%:52% के कल्पित ऋण ईक्विटी अनुपात को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.23)।
- 9.6.4 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उचित प्रतिलाभ दर/पूंजी की भारित औसत लागत 12.20% मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.23)।
- 9.6.5 प्राधिकरण 10.15% की सीमा के अधीन ऋण के वास्तविक मूल्य को टूटअप करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.18)।

अध्याय 10 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

- 10.6.1 प्राधिकरण वैमानिक और गैर-वैमानिक लाभ एवं हानि लेखाओं के अनुसार करों के अनुपात के आधार पर कुल करों को समस्त लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार वैमानिक और गैर-वैमानिक घटकों के बीच आबंटित कर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों का निर्धारण करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 10.2.8)।
- 10.6.2 प्राधिकरण तालिका 162 में यथा निर्धारित वैमानिक करों को मानने का निर्णय लेता है।
- 10.6.3 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए करों को टूटअप करने का निर्णय लेता है।

अध्याय 11 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा- स्फीति

- 11.5.1 प्राधिकरण एचआईएल की प्रस्तुति के अनुसार सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों पर व्यावसायिक पूर्वामानकर्ताओं के आरबीआई के 63वें सर्वेक्षण के आधार पर 4.6% के Q4:2020-21 के लिए अधिकतम डब्ल्यूपीआई मानने का निर्णय लेता है।

अध्याय 12 – सेवा की गुणवत्ता

- 12.6.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान सेवा की गुणवत्ता के संबंध में वैमानिक टैरिफ में कोई भी समायोजन न करने का निर्णय लेता है।

अध्याय 13 – तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और प्रति यात्री मुनाफा (वाईपीपी)

- 13.6.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 167 के अनुसार कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और प्रति यात्री मुनाफा (वाईपीपी) मानने का निर्णय लेता है।

- 13.6.2 प्राधिकरण भारवाही एयरलाइनों के लिए प्रमुख भागीदारी कार्यक्रम के सिवाय वीटीपी स्वीकार करने का निर्णय लेता है क्योंकि प्राधिकरण का मानना है कि यह कार्यक्रम भेदभावपूर्ण स्वरूप का है।
- 13.6.3 प्राधिकरण एचआईएल को निदेश देता है कि वह तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों, प्राप्त राजस्व और इस संबंध में वहन किए गए व्यय का हितधारकों और ऐरा की जानकारी के लिए अलग लेखा (कार्गो और यात्री) रिकॉर्ड रखे ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए सुविचारित दृष्टिकोण बनाया जा सके।
- 13.6.4 प्राधिकरण एचआईएल को यह सुनिश्चित करने का निदेश देता है कि इकाओं के गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
- 13.6.5 प्राधिकरण एचआईएल को 669.26 करोड़ रूपए (31 मार्च, 2022 को) की अपेक्षित कमी को तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप की शर्त पर अगली नियंत्रण अवधि में वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है (तालिका 168)।

16. अध्याय 16 - आदेश

- 16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के अध्याय 17- संलग्नक क और ख में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 16.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 'क' के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 16.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।
- 16.1.4 इसमें निर्धारित टैरिफ, करें, यदि कोई हो, को छोड़कर उच्चतम दें हैं।
- 16.1.5 एचआईएल प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्रस्ताव प्राधिकरण को ठीक समय पर पेश करेगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्मल मनु सूदन)
सचिव, ऐरा

सेवामें ,
प्रदीप पाणिकर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
जीएमआर एयरो टावर्स
राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शमशाबाद,
हैदराबाद - 500 409,
तेलंगाना, भारत

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110 003

2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए

